रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, गुरुवार, मार्च 30, 1972/चैत्र 10, 1894
No. 98] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1972/CHAITRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
NOTIFICATIONS
CUSTOMS
New Delhi, the 30th March 1972

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 51-Customs, dated the 26th March, 1968, namely:—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and word "31st March, 1972", the figures, letters and word "31st March, 1973" shall be substituted.

[No. 50/F. No. 355/7/72-Cus. I.]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)
अधिसूचनाएं
सीमाशुल्क
नयी दिल्ली, 30 मार्च, 1972

सा० का० नि० 217(अ)—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह

समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित मे आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 51 सीमाशुल्क, तारीख 26 मार्च, 1968 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "31 मार्च, 1972" अंकों और शब्द के लिए "31 मार्च, 1973" के अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएगे।

[सं० 50/फा० सं० 355/7/72-सी० शु०-1]

G.S.R. 218(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 32-Customs, dated the 31st March, 1971, namely:—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and word "31st March, 1972", the figures, letters and word "31st March, 1973" shall be substituted.

[No. 51/F. No. 355/7/72-Cus. I]
J. DATTA, Dy. Secy.

सा० का० नि० 218 (अ)—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 32 सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 1971 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "31 मार्च, 1972" अंकों और शब्द के लिए "31 मार्च, 1973" के अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 51/फा० सं० 355/7/72-सी० शु०-1]
ज्योतिर्मय दत्त, उप-सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972.